

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक : शिविरा / मा / संस्था / सं नि का. निजी /

दिनांक 09.03.2019

अनोप सिंह व्याख्याता हिन्दी


द्वारा कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
ब्लॉक सम, जैसलमेर

विषय:-कार्यग्रहण नहीं करने के संबंध में

उपर्युक्त विषयान्तर्गत इस कार्यालय समसंघक आदेश दिनांक 02.3.2019 के द्वारा कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ब्लॉक सम, जैसलमेर से संदर्भ व्यक्ति के पद से प्रतिनियुक्त समाप्त कर आपका पदस्थापन राजमार्ग ० हमीरा, जैसलमेर किया जाकर तत्काल नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करने हेतु आदेशित किया गया था।


कार्यालय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा जोधपुर संभाग जोधपुर से प्राप्त सूचना के आधार पर ज्ञात हुआ है कि आपके द्वारा आज दिनांक तक पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण नहीं किया गया है। आपका उक्त कृत्य आपके पदीय दायित्व के अनुरूप नहीं है एवं राजकीय आदेशों की अवहेलना की श्रेणी में आता है। आपके द्वारा कार्यग्रहण नहीं करने से पदस्थापित स्थान पर राजकार्य बाधित हो रहा है। आपके द्वारा कारित कृत्य के आधार पर क्यों न आपके विरुद्ध राजकीय आदेशों की अवहेलना एवं राजकार्य बाधित करने के आधार पर अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाए।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप बिना कार्यग्रहण काल का उपभोग करे आज ही पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण करें एवं कायग्रहण रिपोर्ट इस कार्यालय की मेल आईडी. dir.dse@rajasthan.gov.in अन्यथा एकतरफा विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू कर दी जाएगी।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि:-

1. संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा जोधपुर संभाग जोधपुर
2. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा जैसलमेर को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि कार्मिक का आज ही पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण करवाया जाना सुनिश्चित करावें। अन्यथा स्थिति में संबंधित कार्मिक के विरुद्ध आज ही अनुशासनात्मक कार्यवाही के पूर्ण प्रस्ताव मय प्रपत्र अ, ब, स, द मेल आईडी. dir.dse@rajasthan.gov.in भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।
3. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को कार्मिक को सुचित किये जाने हेतु विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक : शिविरा / मा / संस्था / सी-८ / प्रतिनियुक्ति / 2019

दिनांक 09.03.2019


जालम सिंह भाटी, व्याख्याता इतिहास
कार्यालय सहायक जिला परियोजना समन्वयक (समसा)
जैसलमेर

विषय:-कार्यग्रहण नहीं करने के संबंध में

उपर्युक्त विषयान्तर्गत इस कार्यालय समसन्ध्यक आदेश दिनांक 05.3.2019 के द्वारा कार्यालय सहायक जिला परियोजना समन्वयक (समसा) जैसलमेर से कार्यकर्म अधिकारी के पद से प्रतिनियुक्ति समाप्त कर आपका पदस्थापन राजमार्ग ० नेहड़ाई, जैसलमेर किया जाकर तत्काल नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करने हेतु आदेशित किया गया था।


कार्यालय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा जोधपुर से प्राप्त सूचना के आधार पर ज्ञात हुआ है कि आपके द्वारा आज दिनांक तक पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण नहीं किया गया है। आपका उक्त कृत्य आपके पदीय दायित्व के अनुरूप नहीं है एवं राजकीय आदेशों की अवहेलना की श्रेणी में आता है। आपके द्वारा कार्यग्रहण नहीं करने से पदस्थापित स्थान पर राजकार्य बाधित हो रहा है। आपके द्वारा कारित कृत्य के आधार पर क्यों न आपके विरुद्ध राजकीय आदेशों की अवहेलना एवं राजकार्य बाधित करने के आधार पर अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाए।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप बिना कार्यग्रहण काल का उपभोग करे आज ही पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण करें एवं कायग्रहण रिपोर्ट इस कार्यालय की मेल आईडी. dir.dse@rajasthan.gov.in अन्यथा एकतरफा विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू कर दी जाएगी।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि:-

- संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा जोधपुर संभाग जोधपुर
- जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा जैसलमेर को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि कार्मिक का आज ही पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण करवाया जाना सुनिश्चित करावें। अन्यथा स्थिति में संबंधित कार्मिक के विरुद्ध आज ही अनुशासनात्मक कार्यवाही के पूर्ण प्रस्ताव मय प्रपत्र अ, ब, स, द मेल आईडी. dir.dse@rajasthan.gov.in भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।
- सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को कार्मिक को सुचित किये जाने हेतु विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक : शिविरा / मा / संस्था / सी-८ / प्रतिनियुक्ति / 2019

दिनांक 09.03.2019

कृष्णअवतार शर्मा, व्याख्याता अंग्रेजी
कार्यालय सहायक जिला परियोजना समन्वयक (समसा)
स०माधोपुर

विषय:-कार्यग्रहण नहीं करने के संबंध में

उपर्युक्त विषयान्तर्गत इस कार्यालय समसख्यक आदेश दिनांक 05.3.2019 के द्वारा कार्यालय सहायक जिला परियोजना समन्वयक (समसा) स० माधोपुर से कार्यक्रम अधिकारी के पद से प्रतिनियुक्ति समाप्त कर आपका पदस्थापन राजमावि० खण्डार-स० माधोपुर किया जाकर तत्काल नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करने हेतु आदेशित किया गया था।


कार्यालय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा भरतपुर से प्राप्त सूचना के आधार पर ज्ञात हुआ है कि आपके द्वारा आज दिनांक तक पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण नहीं किया गया है। आपका उक्त कृत्य आपके पदीय दायित्व के अनुरूप नहीं है एवं राजकीय आदेशों की अवहेलना की श्रेणी में आता है। आपके द्वारा कार्यग्रहण नहीं करने से पदस्थापित स्थान पर राजकार्य बाधित हो रहा है। आपके द्वारा कारित कृत्य के आधार पर क्यों न आपके विरुद्ध राजकीय आदेशों की अवहेलना एवं राजकार्य बाधित करने के आधार पर अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाए।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप बिना कार्यग्रहण काल का उपभोग करे आज ही पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण करें एवं कायग्रहण रिपोर्ट इस कार्यालय की मेल आईडी. dir.dse@rajasthan.gov.in अन्यथा एकतरफा विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू कर दी जाएगी।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि:-

1. संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा भरतपुर संभाग भरतपुर
2. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा भरतपुर को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि कार्मिक का आज ही पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण करवाया जाना सुनिश्चित करावें। अन्यथा स्थिति में संबंधित कार्मिक के विरुद्ध आज ही अनुशासनात्मक कार्यवाही के पूर्ण प्रस्ताव मय प्रपत्र अ,ब,स,द मेल आईडी. dir.dse@rajasthan.gov.in भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।
3. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को कार्मिक को सुचित किये जाने हेतु विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक : शिविरा / मा / संस्था / सी-८ / प्रतिनियुक्ति / 2019

दिनांक 09.03.2019


हितेश पालीवाल, व्याख्याता राजनीति विज्ञान
कार्यालय सहायक जिला परियोजना समन्वयक (समसा)
प्रतापगढ़

विषय:- कार्यग्रहण नहीं करने के संबंध में

उपर्युक्त विषयान्तर्गत इस कार्यालय समसंख्यक आदेश दिनांक 05.3.2019 के द्वारा कार्यालय सहायक जिला परियोजना समन्वयक (समसा) प्रतापगढ़ से कार्यक्रम अधिकारी के पद से प्रतिनियुक्ति समाप्त कर आपका पदस्थापन राउमाविं भरकुण्डी, प्रतापगढ़ किया जाकर तत्काल नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करने हेतु आदेशित किया गया था।


कार्यालय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा भरतपुर से प्राप्त सूचना के आधार पर ज्ञात हुआ है कि आपके द्वारा आज दिनांक तक पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण नहीं किया गया है। आपका उक्त कृत्य आपके पदीय दायित्व के अनुरूप नहीं है एवं राजकीय आदेशों की अवहेलना की श्रेणी में आता है। आपके द्वारा कार्यग्रहण नहीं करने से पदस्थापित स्थान पर राजकार्य बाधित हो रहा है। आपके द्वारा कारित कृत्य के आधार पर क्यों न आपके विरुद्ध राजकीय आदेशों की अवहेलना एवं राजकार्य बाधित करने के आधार पर अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाए।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप बिना कार्यग्रहण काल का उपभोग करे आज ही पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण करें एवं कायग्रहण रिपोर्ट इस कार्यालय की मेल आईडी. dir.dse@rajasthan.gov.in अन्यथा एकतरफा विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू कर दी जाएगी।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि:-

1. संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा उदयपुर संभाग उदयपुर
2. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा प्रतापगढ़ को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि कार्मिक का आज ही पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण करवाया जाना सुनिश्चित करावें। अन्यथा स्थिति में संबंधित कार्मिक के विरुद्ध आज ही अनुशासनात्मक कार्यवाही के पूर्ण प्रस्ताव मय प्रपत्र अ, ब, स, द मेल आईडी. dir.dse@rajasthan.gov.in भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।
3. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को कार्मिक को सुचित किये जाने हेतु विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर